प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक – 01.06.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता 01. दीपचन्द पुत्र गंगाराम निवासी सुन्दरपुर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री ओमप्रकाश सिंह, हे0का0 रमेश मिश्रा।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 15 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 04 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6000 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 03 महिलाओं को भिजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 6000 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत डिहवा बाजार से कालर द्वारा ई-रिक्शा व कार में टक्कर से ई-रिक्शा पलट जाने के कारण दुर्घटना में घायल 03 महिलाओं (1. सुनीला पत्नी रामललित निवासी मिठना सिठना थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर 2. सोना देवी पत्नी सियाकांत निवासी गाय बसन्तपुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर 3. मीरा कन्नौजिया पुत्री झगनु निवासी धवरपार थाना गगहा जनपद गोरखपुर) के सम्बन्ध में सूचना दिया गया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिलाओं को एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल महिलाओं को सी0एच0सी0 मलौली भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों सराहना व प्रशंसा की गयी।

***पीआरवी स्टाफ-* मु0आ0 गोरखनाथ यादव, आ0 संतोष यादव, हो0चा0 मेजर यादव।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 414 वाहनों से 5,02,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनाँक 01.06.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 414 वाहनों से 5,02,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

*** “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप लूट के मामले में 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन में चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 01.06.2026 को माननीय न्यायालय ए0एस0जे0/पाक्सो जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को 03 वर्ष के सश्रम कारावास व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना विवरणः-

विदित हो कि वादी श्री जगदीश प्रसाद पुत्र लक्ष्मी प्रसाद निवासी गोला बाजार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सतंकबीरनगर द्वारा अभियुक्त महेन्द्र यादव पुत्र लालमन निवासी भीटीरावत थाना सहजनवाँ जिला गोरखपुर के विरुद्ध वादी के घर के सामने से पैसा व 04 जोड़ी पायल छिन लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र देकर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक व0उ0नि0 श्री सुबेदार यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

सजा विवरणः-

मु0अ0सं0 160/1993 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त महेन्द्र यादव पुत्र लालमन निवासी भीटीरावत थाना सहजनवाँ जिला गोरखपुर को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के आधार पर धारा 392 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 3000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 03 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। सिद्धदोष अभियुक्त द्वारा पूर्व में बिताये गये कारावास की अवधि दण्ड में समायोजित की जायेगी।